

--- २ ---

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला
भांपाल द्वारा पारित आदेश से परिच्छेदित एवं दुःखित होकर यह
निगरानी माननीय न्यायालय में समय अधि में प्रस्तुत की जा रही है।

---०००---

महोदय,

निगरानीक स्तगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक
आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।



१- यह कि निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनाघेदकगण
द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय वृत्त-२, तहसील हुजूर भांपाल के
प्रकरण क्रमांक ७१४/अ-६।२०००-०१ आदेश दिनांक २३-१-०२ के
विरुद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समय समयावधि
बाब अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कर्ज कर
आघेदकगण को आहत किया गया।



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./17/4915

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-1-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.एन. गौर, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 से 6 की ओर से श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 4 खुशीलाल सहित उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 9 के वारिसान व अनावेदक क्रमांक 10 की ओर श्री जगदीश कुमार प्रजापति, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । शेष अनावेदक सूचित हों ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	